

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन/हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्योदश सं०- 43, दिनांक- 17.07.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

कंडिका-5 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।

2. उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर परिषद्, सहरसा के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

3. उक्त राज्यादेशों एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

(31.07.19)

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक 2ब०/ना०सु०-03-02/2018

4056

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-01/08/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा /नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मुख्य/अधीक्षण अभियंता, बुडा, पटना/योजना एवं विकास विभाग/कार्यपालक अभियंता, बुडको सहरसा/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई० मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(31.07.19)

सरकार के विशेष सचिव।

199

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब0/नांसु0-03-02/2018 43 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-17/7/19

विषय:- प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु नगर परिषद्, सहरसा को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की कोषागार से निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹95.00 लाख (पंचानवे लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर परिषद् में कुल ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) एवं नगर पंचायत में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर परिषद् में ₹311.29 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार रु०) एवं नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त के आलोक में नगर परिषद्, सहरसा में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राशि ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा उक्त आवंटित राशि में से कंडिका- 4 में अंकित तालिका के स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अपरिहार्य कारणों से निकासी नहीं होने तथा निकासी की गई राशि के पश्चात् योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण विभागीय निदेश के आलोक में राशि कोषागार में वापस जमा करने की सूचना देते हुए नये सिरे से राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त से संबंधित अनिकासी प्रमाण-पत्र/चालान की प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा के पत्रांक- 500, दिनांक- 22.05.2018 से विभाग को उपलब्ध कराया गया है। पुनः उक्त कार्य हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 48, दिनांक- 30.08.2018 से ₹123.71592 लाख विमुक्त किया गया है, जबकि

U

198

₹174.20408 लाख नगर निकाय के पास उपलब्ध थे। इस प्रकार इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹174.20408+123.71592 = 297.92000 लाख उपलब्ध कराया जा चुका है। अवशेष राशि ₹95.00 लाख है।

4. तदनुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा द्वारा कोषागार से निकासी नहीं की गयी अथवा कोषागार में जमा की गई राशि को वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक अनुदान के रूप में अवशेष राशि कुल ₹95.00 लाख (पंचानवे लाख रु०) मात्र की स्वीकृति निम्न तालिका के स्तम्भ- 7 के अनुरूप निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	अनिकासी/ कोषागार में वापस जमा की गई राशि	नगर निकाय के अबतक उपलब्ध करायी गयी राशि	चालू वित्तीय वर्ष में कुल अवशेष आवंटित राशि	अवशेष देनदारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद, सहरसा	392.92000	392.92000	218.71592	297.92000	95.00000	शून्य

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹95.00 लाख (पंचानवे लाख रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. स्वीकृत कुल ₹95.00 लाख (पंचानवे लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

6. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. स्वीकृत कुल ₹95.00 लाख (पंचानवे लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-

4

192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद को सहायता, उपशीर्ष- 0101-नगर परिषदों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

9. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/ना०सु०-03-02/2018 के पृष्ठ सं०-36/टि० पर दिनांक-11.2.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-37/टि० पर दिनांक-11.2.19 को प्राप्त है।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सहरसा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12-07-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/ना०सु०-03-02/2018 43 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-12/7/19

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सहरसा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा/मुख्य अभियंता, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, बुडको, सहरसा/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-07-19

सरकार के विशेष सचिव।

